भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जे-09 झालाना डूंगरी, संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के कार्यालय भवन की सफाई एवं सेनेटरी कार्यो हेतु ।

-: निविदा प्रपत्र :-

दूरभाष संख्या- 0141-2712263

निविदाएं दिनांक 19 मई 2017 को दोपहर 2.00 बजे तक बिल्ड़िग फेज-प्रथम भूमिगत तल के कमरा नं0 ए-2 में जमा करवायी जा सकेगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिनांक 19 मई 2017 सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/-रूपये

परिशिष्ठ-''ए''

दर अनुसुची

वित्त बिड

1. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय भवन की सफाई एवं सेनेटरी कार्य के संविदा के लिए निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,पता एवं दुरभाष नं0........ ....
3. किसको सम्बोधित किया गया: पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।
4. निविदा शुल्क की राशि रू0...........नकद रसीद सं0............. दिनांक................के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. हम................................(फर्म का नाम)द्वारा निविदा सूचना सं0........दिनांक............... में वर्णित सभी शर्तो एवं संलग्न अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार करने के प्रमाण मे हमंने निविदा की शर्तो पर हस्ताक्षर कर दिये है।
6. भ्र0नि0ब्यूरो भवन की सफाई एवं सेनेटरी कार्य के लिए हमारी दरें निम्नानुसार होगी:-

क्र.स.	कार्य का नाम	मासिक दर	सेवा कर या अन्य कर जिसे अलग से अंकित किया जावे।	सकल दर (3+4)
1	2	3	4	5
1	जे-09भ्र.नि.ब्यूरो,के भवन की सफाई एवं सेनेटरी कार्य			

(अक्षरे रूपये..)

7.उक्त दरें सविंदा होने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।

8.बयाना राशि के पेटे बैक ड्राप्ट /बैकर्स चैक संख्या ....दिनांक............... राशि...........................सलंग्न किया जा रहा है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ठ-''बी''

निविदा की सामान्य शर्ते एवं नियम :-

निविदाओ को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिए एवं अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(ए):-पात्रता(Eligiblity)

1. श्रम विभाग में पंजीयन हो।(पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
2. श्रम विभाग में पंजीकृत फर्म जिसे राजकीय, अर्द्वशासकीय भवनो में साफ-सफाई कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। (अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा।)
3. निविदादाता को अमानत राशि के रूप मे राशि 6000/-रूपये का बैक ड्राफ्ट/बैंकचेकर्स /प्रतिभूति जो (पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्र.नि.ब्यूरो,जयपुर के नाम देय होगा)प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

   उक्त पात्रता(elegibility criteria) पूरी करने वाले योग्य निविदाताओ जो की तकनीकी बिड में सफल होगे उन्ही की वित्त बिड खोली जायेगी। तकनीकी बिड में योग्य नही पाये जाने वाले निविदाताओ की वित्तीय बिड नही खोली जावेगी।

(बी):-सामान्य शर्तेः-

1.इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय में जे-09 झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर स्थित भ्र0नि0ब्यूरो के कार्यालय में से निविदा फार्म निविदा के प्रकाशन की तिथी से प्राप्त कर सकते है।

2.निविदादाता को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित लिफाफे मे निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

3.निविदाएं दो अलग-अलग लिफाफो में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा प्री-क्वालीफीकेशन बिड तथा दूसरा वित्तीय बिड के लिये होगा।

4.प्रथम लिफाफे में निम्न प्रपत्र रखे जायेगें :-

(a)अनुभव प्रमाण पत्र

(b)श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र

(c)अमानत (बयाना)राशि रूपये 6000/-का ड्राफ्ट/बैंकचेकर्स /प्रतिभूति निक्षेप(बयाना राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा)

(d)मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्ते (परिशिष्ठ-बी)जिस पर निविदाताओं के हस्ताक्षर हो।

5.द्वितीय लिफाफे में केवल वित बिड (परिशिष्ठ-ए)होगा जिसमें निविदा दाता को अपनी दर अंको एवं शब्दो में अंकित करनी होगी। शब्दों एवं

अंको में अन्तर होने पर दोनो में से जो कम होगी उस दर पर विचार किया जावेगा।

6.दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे मे जिस पर भ्र0नि0ब्यूरो भवन की सफाई व सेनेटरी कार्य की निविदा लिखा हो, बन्द कर निविदा पुलिस अधीक्षक -प्रशासन, भ्र0नि0 ब्यूरो जयपुर के नाम से दिनांक 19.05.2017 को दोपहर 2.00बजे तक बिल्डिग फेज-प्रथम के भूमिगत तल के कमरा न0ए-2 मे प्रस्तुत करनी होगी। देरी से प्राप्त निविदा पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7.प्राप्त निविदाएं दिनांक 19.05.2017 सायं 4.00 बजे पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर के कक्ष मे उपापन समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओ या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।उस दिन तकनीकी बिड का लिफाफा खोला जावेगा। जिसे समिति जांच करेगी।

8.तकनीकी बिड में सफल निविदादाता को पृथक से सूचना भिजवा दी जावेगी।तकनिकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

9.असफल निविदादाता को उनकी बयाना, राशि शीघ्र लौटा दी जावेगी तथा सफल निविदादाता की बयाना राशि धरोहर राशि में समायोजित की जावेगी।

10.सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के तीन दिन में संविदा के 05 प्रतिशत की राशि में से बयाना राशि कम करके शेष धरोहर राशि के रूप मे जमा करवानी होगी तथा 500/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नही करने पर अनुमोदित दरे निरस्त कर दी जावेगी तथा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।

11.धरोहर राशि को संविदा की समाप्ति के एक माह बाद संतोषप्रद कार्य होने पर उनके लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटायी जावेगी।

12.ठेकेदार,सफाई का कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरे को सबलेट नही करेगा ।

13.सफाई की व्यवस्था के लिये पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर द्वारा दिये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद ठेकेदार को साफ-सफाई कार्य करना होगा।

14.ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में विवाद पर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

15.ठेके की शर्तो का उल्लघंन करने पर उसकी धरोहर राशि जब्त की जायेगी।

16.किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में समस्त कानूनी कार्यवाही

ठेकेदार या किसी भी पक्ष(सरकार एवं संविदाकार)द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी,अन्य स्थान पर नहीं ।

17. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर से कम नही दी जावेगी।
18. न्यूनतम दरो को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक -प्रशासन ,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर को होगा।
19. सफाई कार्य के विवरण मे दिये गये सफाई कार्यो को करते समय यदि किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिये मुआवजे आदि देने का भार स्वयं ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जवेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार अथवा जिम्मेदार नहीं होगा।
20. कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरादायित्व ठेकेदार का होगा ।
21. ठेके की अवधि में यदि सफाई कर्मचारी द्धारा हडताल की जाती है और ठेकेदार द्धारा इस अवधि में भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर के भवन की सफाई कार्यो में असमर्थ रहता है तो विभाग द्धारा अपने स्तर पर संवेदक की जोखिम एवं लागत पर सफाई करवायी जावेगी और सफाई कराने में जो राशि व्यय होगी, वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल मे से अथवा उसके द्धारा जमा करवाई गई अमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी ।
22. ठेकेदार द्धारा अपने सफाई कर्मचारीयों की हाजरी पंजिका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,के सी0पी0एस0 प्रभारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करानी होगी ।ठेकेदार द्धारा अपने कर्मचारीयों को पहचान पत्र मय फोटो उपलब्ध करवाना होगा

(सी) अमानत राशि से सम्बन्धित शर्ते :-

1. अमानत राशि निविदा के साथ इन शर्तो की पात्रता की शर्त संख्या -2 के अनुसार जमा करवानी होगी।
2. असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र ही लौटा दी जावेगी।
3. निम्नलिखित मामलो मे अमानत राशि (EARNEST MONEY)समपह्त(Forfeiture)कर ली जावेगी:-

(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापिस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है ।

(2)जब निविदादाता निर्धारित समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नही करता है।

(3)जब निविदादाता कार्य आदेश देने के बाद निर्धारित समय मे प्रतिभूति (धरोहर)राशि जमा नही करता है।

(डी)**प्रतिभूति (धरोहर)राशि(SECURITY MONEY)से संबधित शर्तेः-**

1.सफल निविदादाता को सात दिवस में ठेके की लागत के 5 प्रतिशत जो अमानत राशि से कम नही होगी धरोहर राशि जमा करवानी होगी।यह राशि नकद / ड्राफ्ट / बैंकचेकर्स या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप -विधान में बैंक गारंटी दी जावेगी उक्त बैंक गांरटी निविदा की मूल कालावधि से 30 दिवस आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये ।प्रतिभूति निक्षेप निविदा के समय ड्राफ्ट/बैंकचेकर्स पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर के नाम होगा।

2.निविदा के समय जमा अमानत राशि को धरोहर राशि के लिये समायोजित किया जायेगा।

3.धरोहर राशि पर ब्यूरो द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा।

4.निम्नलिखित मामलों में धरोहर राशि जब्त (FORFEITURE)कर ली जावेगीः-

(1)जब संविदा के किन्हीं निबंन्धनो ओर शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(2)जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3)प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध मे पुलिस अधीक्षक-प्रशासन. का निर्णय अन्तिम होगा।

(ई)-कार्य सम्बन्धित शर्ते एवं विवरणः-

1.ठेकेदार को ब्यूरो मुख्यालय में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी।

2.ठेकेदार को ब्यूरो मुख्यालय के ए,बी,सी(तीनो)ब्लॉक के भूमिगत तल, भूतल,प्रथम, द्वितीय तल तथा तृतीय तल स्थित समस्त कमरों के अन्दर एक बार प्रतिदिन एवं बाहर यानि पोर्च गैलेरी,जीना, कोरीडोर,बालकनी आदि में दो बार प्रतिदिन सफाई की जानी है। जिस मे झाडू लगाना एवं फिर फिनाईल/साबुन पानी के घोल से पोंचा लगाना होगा। (सुबह 6बजे से 9.30बजे तक तथा सांय 3 बजे से 6बजे तक) यह ध्यान रखा जावें कि कार्यालय में हर समय सफाई रहें।कोरीडोर,जीना,गैलेरी आदि की सफाई नही करने पर 100/-प्रतिदिन,प्रति ब्लॉक, प्रतितल की दर से शास्ति आरोपित की

जावेगी।इसी प्रकार कमरे की सफाई नही होने पर 10/-रूपये प्रतिदिन प्रति कमरा शास्ति आरोपित की जावेगी ।

3.ब्यूरो भवन के शोचालयों की सफाई दिन में दो बार की जावेगी जिसमें शोचालयों की फिनाईल /साबुन के पानी से धुलाई तथा आवश्यकता होने पर ऐसिड से सफाई करना सम्मलित है। ऐसा न करने पर 10/-रूपये प्रतिदिन प्रति बाथरूम शास्ति आरोपित की जावेगी।

4.कार्यालय के समस्त यूरिन पोट में फिनाईल की गोलियां तथा वाश बेसन पर साबुन प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा।ऐसा न करने पर शास्ति आरोपित की जा सकती है जो अधिकतम 200/-रूपये मासिक होगी।

5.भवन परिसर की सडक तथा अन्दर एवं बाहर के फुटपाथ की सफाई भी प्रतिदिन करानी होगी।

6.भ्र0नि0ब्यूरो भवन की समस्त सीढीयों की रेलिंग,पोर्च एवं चौक में स्थित रैंलिग की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी।

7.भवन के समस्त कमरों व पोर्च के दरवाजो,खिड़कीयों के शीशे,खिड़कीयो की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करनी होगी। ऐसा न करने पर शास्ति आरोपित की जावेगी जो 250/-रूपये से अधिक नही होगी।

8.भवन की बाहरी दिवारों पर लगे शीशे माह में एक बार साफ कराने होगें । ऐसा न करने पर 500/-रूपये शास्ति आरोपित की जायेगी।

9.भवन के समस्त तलो में स्थित वेंशन,ब्लाईण्ड की सफाई,पर्दो की सफाई प्रत्येक माह में एक बार करनी होगी। वेशन ब्लाईण्ड की सफाई का कार्य ब्रुश के साथ करना होगा। भवन में स्थापित समस्त पीतल की सामग्री की सफाई ब्रसों के साथ माह में एक बार करनी होगी।अन्यथा शास्ति आरोपित कि जावेगी जो 100/-से अधिक नही होगी।

10.समस्त तलों पर थूकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमे मिट्‌टी तथा राख का परिवर्तन प्रतिदिन कराना होगा। ऐसा न करने पर शास्ति आरोपित की जावेगी जो 50/-रूपये प्रतिदिन होगी।

11.भूतल पर उद्यान में स्थित पानी की टेंक की सफाई एवं धुलाई दो माह में एक बार करनी होगी ।ऐसा नही करने पर शास्ति 300/-रूपये प्रतिमाह होगी।

12.भवन पर नीली वर्दी में एक सफाई कर्मचारी कार्यालय समय में सुबह 9 सें सायं 6.30 बजे तक उपलब्ध कराना होगा।

13.राजकीय अवकाश के दिनों में ठेकेदार को एक सफाई कर्मी उपलब्ध कराना होगा तथा भवन की समस्त सड़को एवं फुटपाथ की सफाई करानी होगी।

14.भवन के समस्त कमरों,कोरीडोर में स्थित ट्यूबलाईट फिक्सचर्स,पंखे लाइटे इत्यादि की सफाई 03 माह मे एक बार करानी होगी। ऐसा न करने पर शास्ति 500/-रूपये प्रति माह प्रति तल आरोपित की जायेगी।

15.भवन के समस्त तलों पर स्थापित बोर्ड एवं चार्टो की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी। ऐसा न करने पर शास्ति 200/-रूपये प्रति माह आरोपित की जायेगी।

16.ठेकेदार को सफाई सम्बन्धी समस्त सामग्री फिनाईयल,साबुन,झाड़ू,मिट्टी का तेल, होमोकोल, ओडीनिल,फिनॉयल की गोलियां,सुगंधित तेल, वाशिंग पाउडर,टीपोल,पोचे ,डस्टर,ब्रुश,एसिड,नमक का तेजाब आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। सफाई यंत्र जैसे वैक्यूम क्लीनर,पोचा लगाने की मशीन एवं अन्य सफाई सामग्री एवं यंत्र की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी ब्यूरो मुख्यालय द्वारा कोई सामग्री /उपकरण उपलब्ध नही करवाये जायेगें ।

17.कार्य के दौरान शौचालयों में स्थापित नल,वेस्ट पाईप,सिस्टर्न आदि में आयी खराबी /टूटफूट की जिम्मदारी ठेकेदार की होगी।ठेकेदार को तुरन्त ठीक कराना होगा तथा वॉश वेशन ,यूरिनल पोट, कमोड,जीआई पाईप मय फिटिंग एवं सिस्टम को ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराने पर ठेकेदार द्वारा स्थापित किये जायेगें।

18.समस्त तलों पर स्थापित मूत्रालय,निकासी पाईप वॉश वेसिनों के निकासी पाइप मूत्रालयों, टंकियो एवं पीवीसी पाइपों की देखभाल एवं समस्त शोचालय की निकासी पाइपो व एवं अन्य निकासी पाईपों के चोक हो जाने पर उनकी सफाई तुरन्त करनी होगी।

19.भवन के समस्त तलों पर स्थापित मोड्यूलर सिस्टम में स्लाईडिंग डोर की सफाई भी दो माह में एक बार करानी होगी ऐसा न करने पर शास्ति 200/-रूपये प्रति माह होगी।

20.समस्त तलो की सफाई कराने के बाद कुड़ा करकट एवं कचरे का उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था अपने संसाधनो से ठेकेदार को स्वयं को करनी होगी।

21.ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियो को किसी भी स्थिति में राज्य सरकार का दैनिक,अंशकालिक अथवा नियमित कर्मचारी नही माना जावेगा।

(एफ)भुगतान सम्बन्धी शर्तेः-

1. ठेकेदार द्वारा बिल दो प्रतियों में प्रतिमाह प्रस्तुत करने पर अगले माह की 15 तारीख तक भुगतान किया जावेगा।
2. कार्य सन्तोषप्रद होने पर प्रभारी सीपीएस द्वारा बिल के प्रमाणीकरण के बाद आयकर नियमों के अनुसार आयकर की कटौति करके भुगतान किया जावेगा।

(जी)ठेके की अवधि :-

1.ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी जो अनुबन्ध की दिनांक से लागू होगी।

01.5.17

पुलिस अधीक्षक -प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

मैने /हमने उपरोक्त शर्तो को ध्यान पूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हुँ/है ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार
करने के प्रमाण स्वरूप)

परिशिष्ठ- सी

कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान,जयपुर ।

-: तकनीकी बिड सम्बंधी दस्तावेज :-

कसं	विवरण	हॉ	नहीं
1-	श्रम विभाग में पंजीयन		
2-	अमानत राशि का बैंकर चैक		
3-	अनुभव प्रमाण पत्र		
4-	मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्तो पर हस्ताक्षर		

निविदादाता के हस्ताक्षर